न्यायालय अंचल अधिकारी कुन्दा।

संदेहात्मक जमाबंदी वाद सं0–04/2016–17

राज्य बनाम मनोज साव उर्फ मनोज हलुवाई पिता– स्व0 भीखु साव।

कमांक एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

12.9.25

आदेश

प्रस्तुत वाद का संधारण भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा के पत्रांक 273/रा0, दिनांक–09.11.2020 से प्राप्त अभिलेख में दिनांक 14.10.2020 को पारित आदेश के आलोक में दिया गया है। पूर्व के अंचल अधिकारी द्वारा राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन से प्रतिवेदन प्राप्त कर द्वितीय पक्ष के नाम से चल रही जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा के साथ अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा को एवं अतिक्रमण मुक्त करने हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा को दिनांक–21.08.2017 को भेजा गया। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा प्रतिवादी की सुनवाई करते हुए दिनांक 14.10.2020 को आदेश पारित किया गया।"उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि विधि सम्मत/न्याय संगत सुनवाई करते हुए अंचल अधिकारी को ही आदेश पारित करना है। अतः अंचल अधिकारी कुन्दा को अग्रेतर कार्रवाई हेतु संबंधित अभिलेख भेजें"

अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रतिवादी को पुनः नोटिश निर्गत कर सुनवाई की गई। सुनवाई के क्रम में प्रतिवादी द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा कागजात की छायाप्रति पूर्व में ही दिया गया है। उन्हे और कोई कागजात जमा नही करना है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि प्रश्नगत भूमि वासगीत पर्चा से प्राप्त है।

द्वितीय पक्ष द्वारा अपने लिखित जवाब में उल्लेखित किया है कि प्रश्नगत भूमि गैरमजरूआ खास भूतपूर्व जमींदार राजबल्लभ नाथ सिंह के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है। प्रतिवादी के पिता–भीखु साव को भू–दाता अनुग्रह नारायण सिंह से वर्ष 1970 में 0.9 ए0 भूमि पर मकान बनाने की अनुमति दी। तब से मकान 0.5 ए0 बनाये शेष घरबारी के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। प्रतिवादी एवं उनके परिवार के अन्य सदस्य के नाम से उक्त भूमि अंचल अधिकारी कुन्दा द्वारा में वासगीत पर्चा निर्गत किया गया एवं 1973–74 से लगान लेकर सरकारी रसीद निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी कुन्दा द्वारा भूमि अतिक्रमण का नोटिश निर्गत किया गया है। यह मामला अतिक्रमण का नही बनता है चुंकि प्रतिवादी का मकान पूर्व से ही

Scanned with OKEN Scanner

बना हुआ है।

अभिलेख में उपलब्ध कागजात पूर्व के अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, न्यायालय चतरा के द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया। द्वितीय पक्ष द्वारा समर्पित कागजातों की छायाप्रति तथा राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में निम्नांकित तथ्य स्पष्ट होते है।

प्रश्नगत भूमि मौजा कुन्दा के थाना नं0 0145 खाता सं0 111 प्लॉट सं0 777 रकवा 0.9.5 ए0 भूमि खतियान में गैरमजरूआ खास खाते की है। राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन द्वारा मापी के उपरांत प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि सैरात है एवं सैरात पंजी में दर्ज है। वर्तमान में प्रश्नगत भूमि नव निर्मित प्रखण्ड कार्यालय क्षेत्र के अंतर्गत है। द्वितीय पक्ष द्वारा दाखिल कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2004 में केश नं0 13/2004–05 द्वारा मनोज कुमार साव पिता– स्व0 भीखु साव एवं सत्येन्द्र कुमार एवं अन्य तीन भाईयों के नाम से प्रश्नगत खाता प्लॉट का 0.9 ए0 का वासगीत पर्चा निर्गत किया गया है। वर्ष 2004 में ही 1973–74 से 2004–05 तक का एवं 2005–06 से 2011–12 तक का निर्गत लगान रसीद तथा की छायाप्रति दाखिल किया गया है। पूर्व के अंचल अधिकारी द्वारा इनलोगों की जमाबंदी रदद करने एवं अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा को भेजने का आदेश पारित किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि सैरात भूमि का अतिक्रमण कर गृह निर्माण किया गया है। गैर मजरूआ खास भूमि का एवं सैरात भूमि का नियमानुसार वासगीत पर्चा मान्य नही है। जबकि प्रश्नगत भूमि सैरात की भूमि है, एवं प्रखण्ड कार्यालय से सटे है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रतिवादी के नाम से कायम जमा. बंदी को रदद् करने की अनुशंसा की जाती है।

अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा को भेंजें।

लेखापित एवं संशोधित।

12.9.25

अंचल अधिकारी,
कुन्दा

12.9.25

अंचल अधिकारी,
कुन्दा।

Digitally signed by DEEPAK KUMAR MISHRA
Date: 2025.10.15 16:40:36 +05:30
Location: 10.84.229.90

Scanned with OKEN Scanner